

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 586]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 नवम्बर 2010—कार्तिक 27, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर, 2010

क्रमांक (23) बी-1-36-2009-2-पांच.—स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 8 तथा 10 के साथ पठित धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (मध्यप्रदेश) नियम, 1985 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. प्ररूप पी एस-दो में शर्त क्रमांक 5 में, उपशर्त (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उपशर्त स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(ख) अनुज्ञप्तिधारी, अफीम के कृषकों से 100/- रुपये (एक सौ रुपये) प्रति किलोग्राम से कम दर पर पॉपीस्ट्रा क्रय नहीं करेगा.”.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2010 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर, 2010

क्रमांक (23) बी-1-36-2009-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (23) बी-1-36-2009-2-पांच, दिनांक 18 नवम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 18th November 2010

(23) F. No.-B-1-36-2009-2-V.—In exercise of the powers conferred by Section 78 read with Section 8 and 10 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Madhya Pradesh) Rules, 1985, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In Form PS-II, in condition No. 5, for sub-condition (b), the following sub-condition shall be substituted, namely;—

"(b) Licensee shall purchase the poppy straw from the opium cultivators, not below the rate of Rs. 100/- (Rupee one hundred) per kilogram."
2. This Notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R.K. YADAV, Adl. Secy.